प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि को आच्छादित करते हुए शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वह प्रकरण उल्लिखित हैं जो 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये और साथ ही वह भी प्रकरण जो पूर्व के वर्षों में प्रकाश में आये थे, लेकिन विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित नहीं किये जा सके, इसके अतरिक्त वर्ष 2021-22 के बाद जो प्रकरण प्रकाश में आयें उन्हें भी यथास्थान शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।